

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ – 250110




पत्रांक : सवप/2022/नि0प्र0अनु0/10552

दिनांक : 31-05-2022

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 सपटित नियमावली-1993, 2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के संबंध में निर्धारित चैक लिस्ट पूर्ण विवरण के साथ समस्त संलग्नकों सहित भरकर सम्बन्धित अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं मृतक आश्रित के परिवार के सदस्यों द्वारा भरे जाने वाले निर्धारित शपथ पत्र (प्रारूप-क, ख, ग एवं घ) में भरकर उचित माध्यम से निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि


निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि :

1. सम्बन्धित वैज्ञानिक
2. अधिष्ठाता, कृषि/जैवप्रौद्योगिकी/वेटनरी/पी.जी.एस./पी.एच.टी./उद्यान/तकनीकी/छात्र कल्याण इस आशय के साथ कि अपने स्तर से अधीनस्त विभागों को कार्यालय आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र को इस आशय के साथ कि अपने स्तर से अधीनस्त वाह्य शोध केन्द्रों को कार्यालय आदेश प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक प्रसार को इस आशय के साथ कि अपने स्तर से अधीनस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि ज्ञान केन्द्रों को कार्यालय आदेश प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर लैब को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को समस्त संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. कुलसचिव
7. वित्त नियन्त्रक
8. जनसम्पर्क अधिकारी
9. माननीय कुलपति जी के निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
10. व्यक्तिगत पत्रावली

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

चैक लिस्ट

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 सपडित नियमावली-1993, 2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव-

1.	मृत सरकारी सेवक का नाम	
2.	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	
3.	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम	
4.	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	परिशिष्ट
5.	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	
6.	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार (नियमित/स्थायी/अस्थायी)	
7.	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)	
8.	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण	
9.	मृत सरकारी सेवक मृत्यु के समय ड्यूटी पर था अथवा अवकाश पर	
10.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम आयु नाम आयु नाम आयु नाम आयु
11.	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो पत्नियों के नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)	नाम आयु नाम आयु
12.	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनों का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/ व्यवसाय) अंकित होगा। संबंधित शपथ-पत्र (प्रारूप-क)	परिशिष्ट
13.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट
14.	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी, कोई अन्तर नहीं पाया गया है पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग-दो संलग्न किया जाय)	सदस्यों के नाम की सूची परिशिष्ट- पेंशन भाग दो की प्रमाणित सूची परिशिष्ट-
15.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ-पत्र/सहमति जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष में (प्रारूप-ख)	परिशिष्ट- परिशिष्ट- परिशिष्ट- परिशिष्ट-

16.	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	परिशिष्ट—
17.	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों द्वारा सेवायोजन की माँग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है, उसे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें	
18.	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसे स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें	
19.	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन सेवायोजन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है से संबन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-घ)	
20.	मृतक आश्रित का नाम	
21.	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दों में	
22.	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	
23.	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ पत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूप-ग)	
24.	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता, आयु, तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थना पत्र परिशिष्ट
25.	मृतक आश्रित के पक्ष में दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः माह से पुराना न हो	1-राजपत्रित अधिकारी का नाम परिशिष्ट 2-राजपत्रित अधिकारी नाम परिशिष्ट
26.	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नाम आयु
27.	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय 1. यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है 2. यदि पूर्व में सेवारत रहा हो 3. यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो 4. यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो	परिशिष्ट
28.	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः माह से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
29.	इस आशय का प्रमाण पत्र की उपरोक्त क्रम संख्या-1 से लेकर क्रम संख्या-29 तक अंकित सभी प्रविष्टियों को मेरे द्वारा भली भाँति जांच कर लिया गया है जो सूचनाये अंकित है वे सही है।	

फोटो

प्रारूप "क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप।

समक्ष :- सक्षम अधिकारी, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।

1. यह कि मैं बहलफ बयान करता है कि मेरा नाम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व०.....निवासी.....ग्राम.....पोस्ट.....थाना.....जिला.....का निवासी हूँ।
2. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता स्व०.....सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में (पद का नाम का उल्लेख करें) पर (जनपद के नाम का उल्लेख करें) कार्यालयमें कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक.....को (बीमारी या अन्य कारण जो भी अंकित करें) हो चुकी है।
3. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है। समस्त श्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय रू०..... है तथा वार्षिक आय रू०..... है। मेरी शादी वर्ष.....में हुई, मेरी पत्नी/पति का नाम..... है।
4. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे स्व० पति/पत्नी/पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम.....को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में न्यूनतम पद पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे एतराज नहीं है।
5. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम..... स्व०..... के वारिस है।
6. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व०.....के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गयी है।
7. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।
8. यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरी निजी ज्ञान से सब सत्य है कुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर

प्रारूप "ख"

मृतक के आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र।

समक्ष:-सक्षम अधिकारी, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।

1. मैं शपथनी श्रीमती पत्नी स्व०
ग्राम..... पोस्ट.....
थाना तहसील..... जनपद.....
की निवासिनी हूँ और शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ—
2. यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक हैं।
3. यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री नाम.....को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम पद पर सेवायोजित कराना चाहते हैं।
4. यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है।
5. यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को श्री/श्रीमती/कु०.....को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इनकी शैक्षिक योग्यता.....है।
6. यह कि शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित हैं, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथनी—
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर

परिवार के सदस्यों के फोटो

--	--	--	--

फोटो

प्रारूप—'ग'

आवेदक का शपथ पत्र

समक्ष :- सक्षम अधिकारी सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ

नाम उम्र लगभग वर्ष पुत्र/पुत्री श्री
निवासी थाना का शपथ पत्र।

मैं उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

1. यह कि मैं स्व0 का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित/विधवा पुत्री हूँ। जो मृत्यु से पूर्व स.व.प. कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में पद स्थान पर कार्यरत थे।
2. यह कि मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पद पर नियुक्ति हेतु एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ। इस पद हेतु यदि मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के अनुकूल नहीं पाया जाता तो मैं किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ।
3. यह कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना लम्बित है।
4. यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ और न हूँ।
5. यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
6. यह कि मेरा कभी अपराधिक मामले में पुलिस में चालान नहीं किया गया है।
7. यह कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय अतः किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाय।
8. यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया।
9. यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुए हैं या जिसमें मेरा चालान किया गया था जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है, उनके विवरण निम्नवत् है :-
10. यह कि यदि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो विश्वविद्यालय कि सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाय तथा विधिक दण्ड दिया जाय।
11. मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व0 प्रमाणित करता/करती हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किसी नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नहीं किया गया/की गयी हूँ।
12. मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हूँ।
13. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार के किसी आश्रित को (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता

मैं उपयुक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करती/करता हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य अभिलेखों पर आधारित है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है, इस शपथ पत्र में उल्लिखित प्रस्तर तथ्य विधि सलाह पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास करती/करता हूँ कि वह भी सत्य है, इसका कोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करें।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता

शपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निशान—अंगूठा

आज दिनांक को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी / शपथकर्ता

प्रारूप "घ"

मृतक के आश्रित के रूप में आवेदक द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र ।

समक्ष :- सक्षम अधिकारी, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ ।
 मैं,.....उम्र.....पुत्र स्व०.....
निवासी.....ग्राम.....
 पोस्ट.....व थाना.....जनपद.....
का शपथपत्र निम्नलिखित हैं:-

मैं,उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ कि:-

1. यह शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिये गये हैं वह सही है ।
2. यह कि शपथी के पिताकी मृत्यु दिनांक.....को हुई थी, शपथी के पिता मृत्यु के समय विश्वविद्यालय के विभागमें नियुक्त थे ।
3. यह कि शपथी के परिवार में शपथी के अतिरिक्त निम्न सदस्य है, जिनमें से किसी को भी सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है ।

नाम	विवाहित/अविवाहित	आयु

4. यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मियों के सम्बन्ध में नाम/पद/नियुक्ति का विवरण उम्र सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है ।
5. यह कि शपथी के परिवार में स्व०.....कर्मियों की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है ।
6. मृतक आश्रित की भर्ती नियमावली की अधिसूचना 28 जूलाई, 2006 के 5-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हैं ।
7. यह कि शपथ पत्र के प्रस्तर 1 से 7 तक में अंकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी/शपथी के हस्ताक्षर